



## आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना

### प्रलिस के लयल:

आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, भारत का नयलतुरक और महालेखा- परीकषक (CAG), सामाजकल-आरथकल जातगत जनगणना (SECC), स्वास्थय बीमा योजना

### मेन्स के लयल:

आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इससे संबधतल मुददे और आगे की राह

## चरचा में क्यौं?

हाल ही में भारत के नयलतुरक और महालेखा-परीकषक (Comptroller and Auditor-General of India- CAG) की प्रदरशन ऑडलट रपलरट ने आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (Ayushman Bharat-Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana- PMJAY) में अनयलमतलताओं को उजागर कयलल है ।

## CAG द्वारा उजागर कयल गए मुददे:

- मृत मरीजों का उपचार:
  - जलन मरीजों को पहले "मृत" दखलया गया था, वे भी इस योजना के तहत उपचार का लाभ उठाते रहे ।
  - ऐसे सबसे ज़यादा मामले छत्तीसगढ़, हरयलणा, झारखंड में थे और सबसे कम मामले अंडमान और नकलबार द्वीप समूह, असम तथा चंडीगढ़ से थे ।
  - इस योजना के तहत नरलदषलट उपचार के दौरान 88,760 रोगयलं की मृत्यु हो गई । इन रोगयलं के संबध में नए उपचार से संबधतल कुल 2,14,923 दावों को ससलटम में भुगतान के रूप में दखलया गया है ।
- अवास्तवकल घरेलू आकार:
  - ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पंजीकृत घर का आकार असामान्य रूप से बड़ा, यानी 11 से 201 सदस्यों तक का था ।
  - इस तरह की वसलगतयलं लाभार्थी पंजीकरण प्रकरयल के दौरान उचतल सत्यापन नयलतुरण की कमी का सुझाव देती हैं ।
- पेंशनभोगी को लाभ :
  - कुछ राज्यों में पेंशनभोगयलं के पास PMJAY कार्ड प्राप्त हुए, साथ ही वे इस योजना के अंतगत उपचार का लाभ उठा रहे थे ।
  - योजना से अयोग्य लाभार्थयलं को हटाने के लयल देरी से की गई कार्रवाई के कारण अयोग्य व्यक्तयलं को PMJAY के अंतगत लाभ प्राप्त हुआ ।
- फरज़ी मोबाइल नंबर और आधार:
  - इससे जानकारी प्राप्त हुई ककुछ लाभार्थयलं को एक ही फरज़ी मोबाइल नंबर से पंजीकृत कयल गया था, जसलसे संभवतः सत्यापन प्रकरयल से समझौता कयल गया ।
  - इसी तरह कुछ आधार नंबरों को कई लाभार्थयलं से जोड़ा गया था, जसलसे उचतल सत्यापन पर सवाल उठ रहे थे ।
- प्रणालीगत वफलताएँ:
  - CAG की रपलरट ने प्रणालीगत मुददों को प्रदरशलत कयल, जसलमें सार्वजनकल अस्पताल-आरकषतल प्रकरयलएँ सुनशलचतल करने वाले नजल अस्पताल, ढाँचागत अपर्याप्तता, उपकरण की कमी के साथ चकलतलसा कदाचार के मामले भी शामिल रहे ।
  - पर्याप्त सत्यापन नयलतुरण का अभाव, अमान्य नाम, अवास्तवकल जन्म तथल, फरज़ी PMJAY ID आदी
  - कई राज्यों एवं केंद्रशासतल प्रदेशों में सूचीबद्ध अस्पतालों में उपलब्ध उपकरण गैर-कार्यात्मक पाए गए ।
- लंबतल जुरमाना:
  - रपलरट में 9 राज्यों के 100 अस्पतालों पर 12.32 करोड़ रुपए के लंबतल जुरमाने की बात सामने आई है ।
- योजना में डेटा संग्रहण:
  - यह संभव है ककुछ मामलों में कषेतरीय स्तर के कार्यकरतताओं द्वारा कुछ यादृच्छकल दस-अंकीय संख्या दर्ज की गई हो ।
  - इसके अतरकलत राष्टरीय स्वास्थय प्राधकलरण (NHA) के वर्तमान IT पोर्टल में केवल वैध मोबाइल नंबर लेने हेतु आवश्यक सुधार हुए हैं, यदललाभार्थी के पास पूर्व में ऐसा नंबर है ।

## सरकार द्वारा प्रमाणीकरण:

- मोबाइल नंबर और सत्यापन:
  - स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि लाभार्थियों के सत्यापन के लिये मोबाइल नंबरों का उपयोग नहीं किया गया था।
  - यह योजना मुख्य रूप से आधार-आधारित ई-KYC के माध्यम से लाभार्थियों की पहचान करती है, जिसमें मोबाइल नंबरों का उपयोग सत्यापन के बजाय संचार और प्रतिक्रिया उद्देश्यों के लिये किया गया था।
- सत्यापित वकिलप:
  - NHA ने लाभार्थी सत्यापन के लिये फगिरप्रूटि, आईएसि स्कैन, फेस सत्यापन और ओटीपी जैसे कई वकिलप प्रदान किये हैं।
  - सामान्यतः फगिरप्रूटि-आधारित सत्यापन का उपयोग किया जाता है, जो लाभार्थी सत्यापन की सटीकता सुनिश्चित करने में सहायता करता है।

## आयुष्मान भारत-PMJAY:

- परिचय:
  - PM-JAY पूर्ण रूप से सरकार द्वारा वित्तपोषित विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है।
  - फरवरी 2018 में लॉन्च हुई यह योजना माध्यमिक देखभाल के साथ-साथ तृतीयक देखभाल हेतु प्रतिपरिवार 5 लाख रुपए की बीमा राशि प्रदान करती है।
    - स्वास्थ्य लाभ पैकेज में सर्जरी, दवा एवं दैनिक उपचार, दवाओं की लागत और नदिन शामिल हैं।
- लाभ:
  - यह एक पात्रता आधारित योजना है जो नवीनतम सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) डेटा द्वारा पहचाने गए लाभार्थियों को लक्षित करती है।
    - राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) ने राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को बचे हुए (अप्रमाणित) SECC परिवारों के खिलाफ टैगिंग के लिये समान सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइल वाले गैर-सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) लाभार्थी परिवार डेटाबेस का उपयोग करने हेतु लचीलापन प्रदान किया है।
- वित्तीयन:
  - इस योजना का वित्तपोषण संयुक्त रूप से किया जाता है, सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मामले में केंद्र एवं वधायिका के बीच 60:40, पूर्वोत्तर राज्यों तथा जम्मू-कश्मीर, हिमाचल एवं उत्तराखंड के लिये 90:10 और वधायिका के बिना केंद्रशासित प्रदेशों हेतु 100% केंद्रीय वित्तपोषण।
- नोडल एजेंसी:
  - राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) को राज्य सरकारों के साथ संयुक्त रूप से PMJAY के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक स्वायत्त इकाई के रूप में गठित किया गया है।
  - राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (SHA) राज्य में ABPMJAY के कार्यान्वयन के लिये ज़िम्मेदार राज्य सरकार का शीर्ष निकाय है।

## आगे की राह

- PMJAY की अनयिमतिताएँ सुधारात्मक उपायों की मांग करती हैं, जिसमें योजना की अपेक्षित प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिये कड़े लाभार्थी सत्यापन, अस्पताल नरीक्षण और एक मज़बूत शकियत नविवरण तंत्र शामिल है।

## स्रोत: द हट्टि